

प्र0क0.....

1. राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता
2. श्रीमती शशि गुप्ता पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
निवासीगण ए-17, जवाहर कालोनी ग्वालियर/
बनाम्

1. कल्याण सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. जसवंत सिंह
4. निरंजन सिंह पुत्र लोटन सिंह
5. काशीबाई वेवा लोटन सिंह
निवासीगण केदारपुर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता :-

माननीय न्यायालय के समक्ष यह रिवाजन आवेदन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसी रोड जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 02/2011-12/अपील मे पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 से दुखित होकर प्रस्तुत है। आवेदन के संबंध मे तथ्य निम्नानुसार है।

1/ यहकि, ग्राम केदारपुर तहसील एवं जिला ग्वालियर स्थिति भूमि सर्वे क्र0 373,374,375,376, रकवा क्रमशः 0.303 हेक्टर, 0.209 हेक्टर, 0.303 हेक्टर, 0.251 हेक्टर कुल रकवा 1.066 हेक्टर को रिवाजन कर्ता द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 25.03.2011 से क्रय किया गया है यह भूमि के विक्रेता कल्याण सिंह, महेन्द्र सिंह, जसवंत सिंह, निरंजन सिंह, काशीबाई पुत्र लोटन सिंह है।

2/ यहकि, आवेदकगण द्वारा भूमि विक्रय दिनांक 25.03.2011 से प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य रिवाजनकर्ता को सौंप दिया गया है इसका विवरण विक्रय पत्र दिनांक 25.03.2011 के पृष्ठ क्र. 5 में है।

3/ यहकि, आवेदक (रिवाजनकर्ता) के द्वारा भूमि क्रय दिनांक से ही वैधानिक रूप से भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है।

4/ यहकि, आवेदकगण द्वारा चूँकि स्वयं भूमि विक्रय की है अतः प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व एवं अंतरण तथा कब्जा सौंपे जाने की जानकारी उन्हें भली भाँति है आवेदकगण द्वारा रिवाजनकर्ता को परेगान करने की नीयत से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसी रोड मे अपील प्रस्तुत की गई जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है।

5/ यहकि, द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध मे जब कि नामांतरण पंजी मे विधिवत ईशतहार जारी कर नामांतरण आवेदक (रिवाजनकर्ता) के पक्ष मे किया गया तब समय बाहय अपील को सुनवाई मे लिया जाकर उसके नामांतरण को निरस्त किया जाना विधि संगत नहीं है।

(Signature)

दिनांक 2-5-16 को
श्री-धर्म चतुर्वेदी को
श्री-सुब्रह्मण्य
25/5/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक
स्थान तथा दिनांक

निगरानी 1386-पीबीआर/16 राजेन्द्र / कल्याण

जिला ग्वालियर

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

11-5-2016

अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24-2-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम प्रकृति का आदेश होकर अपीलीय आदेश है, जिसके विरुद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है । अनावेदक के विद्वान अभिभाषक की आपत्ति विधि संगत होने से स्वीकार की जाती है, क्योंकि प्रश्नाधीन आदेश अपीलीय आदेश होने से संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रतिबंधित होकर ग्राह्य योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । आवेदक सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(मनाज गोयल)
अध्यक्ष